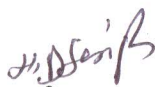


परियोजना का नाम:- जनपद चमोली में राज्य योजना के अन्तर्गत सौनला-काण्डारा मोटर मार्ग से कांचुला-गैन मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 3.780 हे० आरक्षित/वन पंचायत भूमि एवं मक डिस्पोजल हेतु 0.220 हे० कुल भूमि 4.000 हे० लो०नि०वि० को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन न होने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं हुआ है।


अमीन


कनिष्ठ अभियन्ता

अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
गौचर



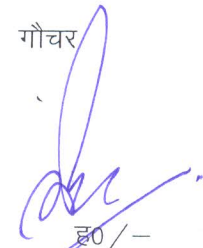
सहायक अभियन्ता

अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
गौचर



अधिशारी अभियन्ता

अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
गौचर


ह०/-

प्रभागीय वनाधिकारी
बन विभाग, चमोली